

पत्रांक 216 सेरी0/लेखा/आयो0 बजट/2017-18

रेशम निदेशालय, उत्तर प्रदेश
एल0डी0ए0 कामर्शियल काम्पलेक्स, प्रथमतल,
विश्वासखण्ड - 3 गोमतीनगर - लखनऊ।

दिनांक::लखनऊ::26 अगस्त, 2017

आहरण वितरण अधिकारी

मुख्यालय लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर, कुशीनगर, बस्ती,
गोण्डा, बहराइच, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, मेरठ, औरैया,
झांसी, कानपुर नगर, फतेहपुर, सोनभद्र, सहारनपुर।

रेशम विकास अनुभाग के शासनादेश संख्या-16/2017/169/74-2-2017-16(ब)/2017 दिनांक 18 मई, 2017 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 हेतु रू0 52,00,000.00 (रूपये बावन लाख मात्र) की स्वीकृति अनुदान सं0-10 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक एवं रेशम विकास) के लेखाशीर्षक 2851-ग्राम तथा लघु उद्योग-107-रेशम उत्पादन उद्योग-06-जागरूकता एवं प्रशिक्षण की योजना हेतु कुल प्रावधानित धनराशि रू0 52.60 लाख के सापेक्ष प्रथम पाँच माह हेतु (अप्रैल से अगस्त, 2017) हेतु लेखानुदान रू0 21.66 लाख (रूपये इक्कीस लाख छच्छठ हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति प्राप्त हुयी है। उपर्युक्त स्वीकृत धनराशि रू0 21.66 लाख (रूपये इक्कीस लाख छच्छठ हजार मात्र) का आवंटन संलग्नक के अनुसार निम्न शर्तों के अधीन किया जाता है :-


1. उक्त स्वीकृत धनराशि का आवंटन (एलाटमेंट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा अन्य आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व एसी स्वीकृति/सहमति निदेशालय से अवश्य प्राप्त कर ली जाए।
2. जिन मदों में धनराशि आवंटित की जा रही है उन्ही मदों में धनराशि का व्यय की जाय अर्थात् किसी भी स्थिति में मद परिवर्तन न किया जाय।
3. आवंटित धनराशि का नियमानुसार, जहां आवश्यकता हो, सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर अथवा प्रतिनिधायन की सीमा के अन्तर्गत व्यय करना सुनिश्चित किया जाय।
4. प्रत्येक मद में आवंटित धनराशि की सीमा तक व्यय सीमित रखा जाय और इसका ध्यान रखा जाय कि दायित्वों का सृजन किसी भी दशा में न होने पाये, यदि किसी प्रकार का ऋणात्मक व्यय किया जाता है तो संबंधित आहरण एवं वितरण अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगा।
5. शासन द्वारा समय-समय पर मितव्ययता से संबंधित निर्गत निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाय।
6. यदि कोई धनराशि अवशेष बचती है तो उसे वित्तीय नियमों के अनुसार वित्तीय वर्ष के समाप्ति के पूर्व ही (माह फरवरी 2018 के अन्तिम सप्ताह) निश्चित रूप से निदेशालय को समर्पित किया जाना सुनिश्चित करें।
7. आवंटित धनराशि का उपयोग वास्तविकता के आधार पर किया जाए तथा किसी भी दशा में कोषागार से धनराशि आहरित कर बैंक खाते में न रखा जाए। यदि इस प्रकार का प्रकरण प्रकाश

में आता है तो संबंधित आहरण एवं वितरण अधिकारी जिम्मेदार होंगे तथा वित्तीय अनियमितता मानते हुए आप के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।

8. उक्त स्वीकृत धनराशि का सदुपयोग वित्त (आय-व्यय) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2017-बी-1-02/दस-2017-231/2017 दिनांक 02.01.2017 में दिये गये शर्तों /नियमों के अनुसार किया जाए।
9. आवंटित की जा रही धनराशि का भुगतान बैंक खाते में RTGS/NEFT के माध्यम से E-Payment ही किया जाए।
10. उपरोक्त आवंटित धनराशि का उपयोग निदेशालय के पत्र सं०-824-सी/सेरी०/तक०/जाग०क०प्रशि० /2017-18 दिनांक 23 जून 2017 में दिये गये दिशा निर्देश के अनुसार किया जाएगा।

आवंटित धनराशि का आहरण चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के अनुदान सं०-10 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्योगिक एवं रेशम विकास) के लेखाशीर्षक 2851-ग्राम तथा लघु उद्योग-107-रेशम उत्पादन उद्योग-06-जागरूकता एवं प्रशिक्षण की योजना के नामे डाला जायेगा। इस आवंटन की प्रविष्टि अनुदान सं०-10 के वर्ष 2017-18 के आवंटन पंजिका के पृष्ठ-55 पर कर ली गई है।

संलग्नक- उपरोक्तानुसार।



(अनिल कुमार यादव)
निदेशक (रेशम)

पत्रांक ६६/सेरी०/लेखा/आयो० बजट/2017-18 तद्दिनांकित

प्रतिलिपि-निम्न को सचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उ०प्र०, इलाहाबाद।
2. वरिष्ठ आडिट आफिसर(आडिट प्लानिंग), कार्यालय महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम, सत्यनिष्ठा भवन-15-थार्नहिल रोड, इलाहाबाद।
3. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी, औरैया, बस्ती, गोण्डा, लखीमपुर खीरी, फतेहपुर, सोनभद्र, कुशीनगर, पीलीभीत, मेरठ, बहराइच, कानपुर नगर, झांसी, सहारनपुर।
4. निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, उ०प्र० जवाहर भवन, लखनऊ
5. व्यय सहायक एवं वरिष्ठ आडिटर मुख्यालय-लखनऊ
- ✓ 6. प्रोग्रामर/कम्प्यूटर अनुभाग, रेशम निदेशालय उ०प्र० लखनऊ को इस आशय से कि उपरोक्त को वेबसाइट पर अपलोड कर दे।

संलग्नक- उपरोक्तानुसार।


(अमितोष श्रीवास्तव)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी

पत्रांक 016 /सेरी0/लेखा/आयो0 बजट/2017-18 दिनांक: 26 अगस्त, 2017 का अनुलग्नक

अनुदान सं०- 10- कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्योगिक एवं रेशम विकास)

2851- ग्राम तथा लघु उद्योग -107-रेशम उत्पादन उद्योग

06-जागरूकता एवं प्रशिक्षण की योजना के अर्न्तगत वर्ष 2017-18 हेतु आवंटित धनराशि का विवरण

(धनराशि ₹० में)

क्र० सं०	आहरण एवं वितरण अधिकारी का पदनाम	जनपद	कोषागार का नाम	आवंटित धनराशि			योग	पूर्व में आवंटित धनराशि	प्रगामी योग
				18-प्रकाशन	42-अन्य व्यय	44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	उप निदेशक (रेशम)	रेशम निदेशालय, मुख्यालय, लखनऊ	जवाहर भवन, लखनऊ	83000	833000	0	916000	0	916000
		योग		83000	833000	0	916000	0	916000
2	उप निदेशक (रेशम)	वाराणसी	वाराणसी	0	0	15000	15000	0	15000
3		चन्दौली	वाराणसी	0	0	15000	15000	0	15000
4		मिर्जापुर	वाराणसी	0	0	29000	29000	0	29000
5		गाजीपुर	वाराणसी	0	0	15000	15000	0	15000
6		जौनपुर	वाराणसी	0	0	15000	15000	0	15000
7		संतरविदास नगर	वाराणसी	0	0	15000	15000	0	15000
		योग		0	0	104000	104000	0	104000
8	सहायक निदेशक (रेशम)	झाँसी	झाँसी	0	0	29000	29000	0	29000
9	सहायक निदेशक (रेशम)	ललितपुर	झाँसी	0	0	15000	15000	0	15000
10	सहायक निदेशक (रेशम)	जालौन	झाँसी	0	0	15000	15000	0	15000
11	सहायक निदेशक (रेशम)	बाँदा	झाँसी	0	0	15000	15000	0	15000
12	सहायक निदेशक (रेशम)	हमीरपुर	झाँसी	0	0	29000	29000	0	29000
13	सहायक निदेशक (रेशम)	चित्रकूट	झाँसी	0	0	15000	15000	0	15000
		योग		0	0	118000	118000	0	118000
14	सहायक निदेशक (रेशम)	औरैया	औरैया	0	0	29000	29000	0	29000
15	सहायक निदेशक (रेशम)	इटावा	औरैया	0	0	15000	15000	0	15000
16	सहायक निदेशक (रेशम)	मैनपुरी	औरैया	0	0	14500	14500	0	14500
		योग		0	0	58500	58500	0	58500
20	सहायक निदेशक (रेशम)	फतेहपुर	फतेहपुर	0	0	87000	87000	0	87000
		योग		0	0	87000	87000	0	87000
21	सहायक निदेशक (रेशम)	कानपुर नगर	कानपुर नगर	0	0	49000	49000	0	49000
22	सहायक निदेशक (रेशम)	कानपुर देहात	कानपुर नगर	0	0	58500	58500	0	58500
23	सहायक निदेशक (रेशम)	उन्नाव	कानपुर नगर	0	0	29000	29000	0	29000
		योग		0	0	136500	136500	0	136500
24	सहायक निदेशक (रेशम)	कुशीनगर	कुशीनगर	0	0	44000	44000	0	44000
25	सहायक निदेशक (रेशम)	देवरिया	कुशीनगर	0	0	14500	14500	0	14500
		योग		0	0	58500	58500	0	58500
26	सहायक निदेशक (रेशम)	बहराइच	बहराइच	0	0	58000	58000	0	58000
27	सहायक निदेशक (रेशम)	श्रावस्ती	बहराइच	0	0	29000	29000	0	29000
		योग		0	0	87000	87000	0	87000
28	सहायक निदेशक (रेशम)	गोण्डा	गोण्डा	0	0	58000	58000	0	58000
29	सहायक निदेशक (रेशम)	बलरामपुर	गोण्डा	0	0	29000	29000	0	29000
30	सहायक निदेशक (रेशम)	लखनऊ	गोण्डा	0	0	9000	9000	0	9000
31	सहायक निदेशक (रेशम)	बाराबंकी	गोण्डा	0	0	9000	9000	0	9000
		योग		0	0	105000	105000	0	105000
32	उप निदेशक (रेशम)	गोरखपुर	गोरखपुर	0	0	44000	44000	0	44000
33	उप निदेशक (रेशम)	महाराजगंज	गोरखपुर	0	0	44000	44000	0	44000
		योग		0	0	88000	88000	0	88000

30/8/17

34	सहायक निदेशक (रेशम)	बस्ती	बस्ती	0	0	58000	58000	0	58000
34	सहायक निदेशक (रेशम)	सिद्धार्थ नगर	बस्ती	0	0	0	0	0	0
		योग		0	0	58000	58000	0	58000
35	सहायक निदेशक (रेशम)	लखीमपुर	लखीमपुर	0	0	44000	44000	0	44000
36	सहायक निदेशक (रेशम)	सीतापुर	लखीमपुर	0	0	29000	29000	0	29000
		योग		0	0	73000	73000	0	73000
37	सहायक निदेशक (रेशम)	मेरठ	मेरठ	0	0	29000	29000	0	29000
		योग		0	0	29000	29000	0	29000
38	सहायक निदेशक (रेशम)	सहारनपुर	महालपुर	0	0	44000	44000	0	44000
39	सहायक निदेशक (रेशम)	बिजनौर	मेरठ	0	0	29000	29000	0	29000
		योग		0	0	73000	73000	0	73000
41	सहायक निदेशक (रेशम)	पीलीभीत	पीलीभीत	0	0	44000	44000	0	44000
42	सहायक निदेशक (रेशम)	शाहजहाँपुर	पीलीभीत	0	0	29000	29000	0	29000
43	सहायक निदेशक (रेशम)	बरेली	पीलीभीत	0	0	14500	14500	0	14500
44	सहायक निदेशक (रेशम)	रामपुर	पीलीभीत	0	0	14500	14500	0	14500
45	सहायक निदेशक (रेशम)	जे०पी० नगर	पीलीभीत	0	0	14500	14500	0	14500
		योग		0	0	116500	116500	0	116500
46	सहायक निदेशक (रेशम)	सोनभद्र	सोनभद्र	0	0	58000	58000	0	58000
		योग		0	0	58000	58000	0	58000
		महायोग		83000	833000	1250000	2166000	0	2166000

(रु० इक्कीस लाख छच्छठ हजार मात्र)

तेरह अंको का कोड नम्बर

2	8	5	1	0	0	1	0	7	0	6	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

3/10/20

(अमितोष श्रीवास्वत)

वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी